

परिपत्र सं. 18/2020 - सीमा शुल्क

एफ.सं. 15021/10/2020- आईसीडी (सीबीईसी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्रभाग

कमरा सं. 227ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 11 अप्रैल, 2020

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क,
अहमदाबाद/बेंगलुरु/दिल्ली/कोलकाता/मुंबई-I/मुंबई-II/मुंबई-III

अंचल

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क

(निवारक),

दिल्ली/पटना/तिरुचिरापल्ली

प्रधान मुख्य आयुक्त / केंद्रीय माल के मुख्य आयुक्त और

सेवा कर

भोपाल/भुवनेश्वर/गुवाहाटी/हैदराबाद/मेरठ/नागपुर/पुणे/तिरुवाना

नथपुरम/विशाखापट्टनम।

महोदया / महोदय,

विषय: भारत के व्यापार समझौतों के तहत माल की निकासी मूल प्रमाण पत्र के बिना- संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को व्यापार सूचना संख्या 62/2019-2020 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है जो कि डीजीएफटी द्वारा 6 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। उक्त व्यापार नोटिस सीबीआईसी के परामर्श से जारी किया गया और यह कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) के उत्पादन में आयातकों के सामने आने वाली वाली कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करता है।

2. तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त व्यापार नोटिस के अनुसार, आयात खेप, जहां एक मुफ्त व्यापार समझौता के तहत माल को तरजीही देने का दावा किया गया है लेकिन उसके समर्थन में सीओओ की मूल हार्ड कॉपी नहीं प्रस्तुत किया गया है या केवल डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि या सीओ की अहस्ताक्षरित प्रति है प्रस्तुत की गयी है, का मूल्यांकन किया जा सकता है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और की धारा 18 के अनुसार एवं उसे अनंतिम रूप से मंजूरी दे दी जा सकती है। आयातक द्वारा मूल सीओओ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में अंतिम मूल्यांकन बाद में किया जा सकता है। शपथ पत्र और उचित सुरक्षा के माध्यम से राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

3. सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं उनके द्वारा अनुमत छूट के सभी मामलों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के अनंतिम आकलन को शीघ्रतिशीघ्र अंतिम रूप दिया जाये, निर्धारित नियमों के अनुसार।

भवदीय,

अभिषेक कुमार शर्मा
विशेष ड्यूटी अधिकारी (आईसीडी)